भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3622
(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

एआई टूल्स के माध्यम से आयकर विवरणी

3622. **श्री वी. के. श्रीकंदनः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार करदाताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों (एआई टूल्स) के उपयोग के माध्यम से स्वेच्छा से कर विवरणी अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रोत्साहन से सरकार को 2024-2025 में 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर राजस्व एकत्र करने में मदद मिली है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों ने 2024-2025 में 29,000 करोड़ रुपये की पूर्व में अघोषित विदेशी संपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी या आभासी डिजिटल संपत्तियों से संबंधित 1,000 करोड़ रुपये की विदेशी आय के प्रकटीकरण में भी सहायता की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने लगभग 40 करोड़ विशिष्ट करदाताओं के लिए वार्षिक सूचना विवरण तैयार किए हैं, जिनमें से वास्तव में नौ करोड़ विवरणी दाखिल करते हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) आयकर विभाग ने करदाताओं को स्वेच्छा से अपने आयकर विवरणी अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न ई-अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रारंभिक ई-सत्यापन अभियान चलाना भी शामिल है। डेटा की सटीकता, एकरूपता और पूर्णता को बढ़ाकर विश्लेषण ढाँचे को मज़बूत करने और आउटरीच के लिए उपयुक्त मामलों के चयन में सहायता के लिए एआई-सक्षम प्रक्रियाओं

का उपयोग किया गया है। इससे करदाताओं के साथ निष्पक्ष, सटीक और प्रभावी संचार संभव होता है, जिससे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलता है और कर प्रशासन प्रणाली में पारदर्शिता मजबूत होती है।

(ख) जी हां, निर्धारण वर्ष 2020-21 से 2024-25 के संबंध में अपडेटेड आयकर विवरणी दाखिल करने से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त कर राजस्व उत्पन्न हुआ है।

(ग) डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए आयकर विभाग द्वारा नवंबर 2024 में करदाताओं के लिए एक NUDGE (नॉन इनट्रूसिव यूज़ेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल टेक्सपेयर) अभियान शुरू किया गया ताकि विदेशी आय और परिसंपत्ति की घोषणा के लिए करदाताओं की स्वैच्छिक अनुपालन क्षमता में सुधार लाया जा सके। इस अभियान के तहत उन चुनिंदा निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए, जिनके संबंध में सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उनके पास विदेशी परिसंपत्तियाँ हैं और/या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त हो रही है। ताकि उनके आयकर विवरणी में विदेशी परिसंपत्तियों और विदेशी स्रोतों से आय की सटीक जानकारी रिपोर्ट की जा सके। कुल 24,678 करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित आयकर विवरणी (आईटीआर) में अपनी विदेशी परिसंपत्तियों और आय की जानकारी दी, जबकि 5,483 करदाताओं ने 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी परिसंपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय की जानकारी देते हुए विलंबित विवरणी दाखिल किए।

(घ) से (ङ) वित्त वर्ष 2024-25 के लेनदेन के लिए 46.7 करोड़ पैन के लिए एआईएस तैयार किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित लेनदेन के लिए 45.1 करोड़ करदाताओं के लिए एआईएस तैयार किया गया है। वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के व्यापक नेटवर्क के परिणामस्वरूप वास्तविक आयकर विवरणी दाखिल करने वालों की तुलना में बड़ी संख्या में विवरण तैयार किए जा रहे हैं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जिन व्यक्तियों के लिए एआईएस जनरेट किया गया है, उनमें से कई की कर योग्य आय, आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए अनिवार्य वैधानिक सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एआईएस डेटा आयकर विभाग को विवरणी दाखिल न करने वालों की पहचान करने और उन्हें प्रेरित करने तथा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार करने में भी मदद करता है।

*****